न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा

बहक श्री भंवरलाल
पुत्र श्री रामेश्वरलाल
जाति सोनी नि. मोड़ीरवुर्द

मुकदमा नं. 33 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 30/01/2018

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम मोड़ीरवुर्द रकबा 0.0030 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 में श्री भंवरलाल पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति सोनी निवासी मोड़ीरवुर्द (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा पक्की दीवार व पत्थर डालकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मोड़ीरवुर्द ख.न. 653 रकबा 0.0030 किस्म गै.मु.रास्ता पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर पक्की दीवार व पत्थर डालकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 6/– का 50 गुणा रूपया 1.00 रु. (रूपये एक रूपया–) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा निर्णय की एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये। भु. अभिलेख निरीक्षक को

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2018 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला नागौर (राज०)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)